लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स मैहर डेवलपर्स, प्रस्तावक, श्री अनिल सिंह, पता–फ्लैट नं0–902 ए, वसुंधरा गार्डन, बरियातू, मोआबादी, रांची, झारखंड के द्वारा चानन नदी ब्लॉक–06 बालू घाट, मौजा–जितारपुर, अंचल–बाँका, जिला–बाँका में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में **दिनांक 24.07.2023 को अपराहन् 03:00 बजे अंचल सभागार बाँका, जिला–बाँका** के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/2315/2023, दिनांक 28.03.2023 के आलोक में श्रीमती प्रतिभा कुमारी, अपर समाहर्ता–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बाँका की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा–''द टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना'' एवं ''दैनिक जागरण'', भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक **22.06.2023** को प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान एस0 एन0 झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा चानन नदी ब्लॉक–06 बालू घाट, मौजा–जितारपुर, अंचल–बाँका, जिला–बाँका में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री अनिल सिंह को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक–06 में 34.0 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 1083240 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹1061.80 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या–06 को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर ''वैज्ञानिक विधि' तथा अनुमोदित ''खनन योजना'' के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएं गए है।

3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध–मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।
4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 3 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर–लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेष वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनम कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं-

क्रमांक	प्रतिक्रया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री आकाश आनंद, बाँका के द्वारा लगाये जाने वाले वृक्षों के समुचित विकास का उपाय किये जाने का अनुरोध किया गया जिससे वृक्ष पूर्ण रूप से विकसित हो सके।	प्रस्तावित परियोजना में लगाये जाने वाले वृक्षों की रखवाली प्रस्तावक द्वारा किया जाना है। इसके लिए 2 माली नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव है।
2.	श्री निर्मल कुमार सिंह, विशनपुर, बाँका के द्वारा धूल दमन के लिए दिनभर में 2 से 3 बार पानी का छिड़काव किये जाने का अनुरोध किया गया।	प्रस्तावित परियोजना में दिन में 3 बार जल–छिड़काव किया जाना है। स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर जल–छिड़काव को 3 बार से अधिक भी बढ़ाया जा सकता है।
3.	श्री राकेश कुमार यादव, बाँका के द्वारा प्रस्तावित परियोजना का समर्थन किया गया।	
4.	श्री पुरूषोत्तम कुमार सिंह, बिशनपुर, बाँका के द्वारा समुचित वृक्षारोपण एवं नियमित रूप से जल–छिड़काव किये जाने का अनुरोध किया गया।	प्रस्तावित परियोजना में लगाये जाने वाले वृक्षों की रखवाली प्रस्तावक द्वारा किया जाना है। इसके लिए 2 माली नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित परियोजना में आवागमन के लिए उपयोग होने वाले सड़कों पर नियमित रूप से दिन में 3 बार जल–छिड़काव किया जाना है।

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता–सह–सभा के अध्यक्ष महोदया के द्वारा बताया गया कि बालू का नियमानुसार उपयोग करने से स्थानीय एवं राज्य स्तर को भी आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदया के द्वारा प्रस्तावक को पर्यावरण प्रबंधन कोष के तहत लगाये जाने वाले वृक्षों का रख–रखाव किये जाने, धूल–कण के दमन हेतु नियमित रूप से जल छिड़काव कराने तथा ग्रामीणों के अनुरोध के आलोक में सार्वजनिक कार्यक्रमों के तहत वृक्ष वितरण कराये जाने का निदेश दिया गया। प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त का अनुपालन करने का आश्वासन दिया गया। अध्यक्ष महोदया के द्वारा उपस्थित जनता को सुनवाई में शामिल होकर अपने सुझाव एवं शिकायत से अवगत कराने के लिए आभार व्यक्त किया गया तथा बताया गया कि प्राप्त सुझाव एवं प्रश्न प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्रस्तावित परियोजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगी।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

24-7-2023

क्षेत्रीय पदाधिकारी,
बि0रा0प्र0नि0पर्षद,
भागलपुर।

अपर समाहर्ता (लो0 शि0 नि0),
बाँका

उपस्थिति सूची

मेसर्स मैहर डेवलपर्स, श्री अनिल सिंह, फ्लैट नं०-902ए, वसुंधरा गार्डन, बरियातू, मोआबादी, जिला-रांची, झारखण्ड द्वारा चानन नदी ब्लॉक 06 बालू घाट, मौजा-जितारपुर, अंचल-बाँका, जिला-बाँका का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 24.07.2023 को अपराहन् 03:00 बजे लोक सुनवाई का स्थलः अंचल सभागार बाँका, जिला-बाँका में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	प्रतिमा कुमारी	ADM (PGR)	[signature] 24-07-23
2.	Shambhu Nath Jha.	Regional Officer Bhagalpur Bihar State Pollution control board	[signature] 24-07-2023
3.	KUMAR RANJAN	MINERAL DEVELOPMENT OFFICER, BANKA.	[signature] 24/07/2023
4.	Awadhesh Kumar	Mins Inspector, Banka	[signature] 24/07/2023
5.	Amish Kumar	Asst. Scientific Officer BSPCB, Bhagalpur	[signature] 24/07/2023
6.	Nitish kumar	P&M Solution, Noida, पर्यावरणीय सलाहकार	Nitish Ku
7.	Dharmendra Kr Singh	B.N Jha Path Pokhna Tila B. Deoghar Jharkhand	Dharmendra Kr Singh.
8.	Rajendra Mandal	Naksosa (Amarpur)	[signature]
9.	बबलू साह	नकसोसा	बबलू साह
10.	उपेन्द्र यादव	ग्राम नकसोसा	उपेन्द्र यादव
11.	श्याम मंडल	नकसोसा	श्याम मंडल

12.	Krish kumar	English name	[signature]
13.	Md. ziyaul haq	AT Khari hara po-Haripur	[signature]
14.	नाजीम	रवाड़ीहारा	नाजीम
15.	मो० मेराज	रवाड़ीहारा	Meraj
16.	[illegible]	[illegible]	[signature]
17.	पंकज यादव	नकसोशा	पंकज यादव
18.	पुरुषोत्तम ठाकुर सिंह	चितरकुट	पुरुषोत्तम
19.	मन्नु साह	नकसोशा	मन्नु साह
20.	बिरू यादव	नकसोसा	बिरू यादव
21.	vishnu	चितरकुट	vishnu
22.	Himesh	Benka	Himesh
23.	गनेश सिंह	[illegible]	[signature]
24.	क्रांति कुशवाहा	[illegible]	[signature]
25.	शिव शंकर सिंह	[illegible]	[signature]
26.	Md. Zamiruddin	Khari hara	[signature]

27.	Anshu Kumar Yadav	Jitarpur	Anshu
28.	कमरुद्दीन	खड़िहारा	कमरुद्दीन
29.	[illegible]	खड़िहारा	[illegible]
30.	सज्जादउद्दीन	खड़िहारा	[illegible]
31.	मो० फयाज	खड़िहारा	Md. Fayaz
32.	अखिलेश सिंह	पथरा	अखिलेश
33.	Sanjeev Kumar	Morhari	Sanjeev
34.	मुकेश कुमार	बौंसी	मुकेश कुमार
35.	आकांक्षा आनंद	Banka	Anand
36.	Gauri Shankar	Banka	Gaurishankar
37.	Md. Shamim	BSPCB, Patna	Shamim
38.	Rakesh kumar yadav	Aligany Banka	Rakesh kr yadav
39.			
40.			
41.			